

मप्र में भारी वर्षा, स्वयंसेवक बचाव कार्य में लगे



मंडसौर/नीमच/गरोट

मध्यप्रदेश के मंडसौर जिले में इन दिनों अतिवृष्टि से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग बेघर हो रहे हैं, खानेपीने की व्यवस्था जुटाने में कठिनाई आ रही है। ऐसे विकट समय में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा समाज



के प्रति अपने सेवाकार्य का दायित्व दिनरात निभाया जा रहा है। संघ की दृष्टि से गरोट जिले के खड़ावदा मंडल के गांव बरगिना, रूपपुरा, खेड़ा, पानी से घिर गए हैं स्वयंसेवक नैदान में रात 2 बजे गांव से लोगों को निकाल कर लाये। खड़ावदा रामेश्वर धर्मशाला में लोगों को ठहराया गया और अभी करीब 300 व्यक्ति



ठहरे हुए हैं जिनके भोजन व्यवस्था की गई है। आगे और संख्या बढ़ सकती है। इसी तरह शामगाढ़ तहसील के आवरा गांव में संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा सेवाकार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत से अन्य गांव हैं, जहां संघ के कार्यकर्ता रात-दिन इस आपदा की घड़ी में लगे हुए हैं और प्रशासन का पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पुलिया की मरम्मत करवाकर दो दिन से बंद यातायात को चालू करवाने के कार्य भी किये गए हैं।

जैसे 370 को हटाया उसी तरह राम मंदिर बनाने का भी साहस दिखाएं

उद्धव ठाकरे ने सरकार से की मांग, कहा राम मंदिर बाला साहेब का सपना

एन गोविंदाचार्य की अयोध्या मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण किए जाने की याचिका पर न्यायालय ने रजिस्ट्री से पूछा
एकात्म भारत, नई दिल्ली

राम मंदिर मामले में सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए देश में माहौल बनना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया उसी तरह उसे चाहिए कि वह अयोध्या में राम मंदिर बनाने का भी साहस दिखाए। उन्होंने कहा कि अब राम मंदिर के लिए प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमने शिवसेना कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह तैयार रहे हैं। अब समय आ गया है जब राम मंदिर की आधारशिला अयोध्या में रखी जाएगी। यह वह सपना है जिसे हमारे संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने देखा था।

उधर सर्वोच्च न्यायालय में श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई 24 वें दिन सुनवाई हुई। इसमें अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर सर्वोच्च न्यायालय

रजिस्ट्री से जवाब देने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच के सामने अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग का मामला उठाया गया।

याचिकाकर्ता केएन गोविंदाचार्य के वकील विकास सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अयोध्या मामले की सुनवाई देखना चाहते हैं लेकिन वह सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं आ सकते। कोर्ट ओपन होने का सिद्धांत है। ऐसे में हमारी मांग है कि अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए।

इस मामले की कार्रवाई की रेकोर्डिंग भी हो सकती है। विकास सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। लेकिन कई लोग कोर्ट नहीं आ सकते। जो लोग कोर्ट नहीं आ सकते उन्हें विस्तार से सुनवाई के बारे में लाइव स्ट्रीमिंग से पता चल जाएगा। इस दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील ने कहा है कि जन्मस्थान कानूनी व्यक्ति नहीं है। मुस्लिम पक्षकार सुजी वक्फ बोर्ड की ओर से राजीव धवन ने संवैधानिक बेंच के सामने दलील पेश की। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। इस मामले एक बार पुनः मध्यस्थता की मांग भी की गई है।



विहिप ने तीन घटनाओं के लिए ज्ञापन सौंपा

एकात्म भारत, अशोकनगर

अशोकनगर के कचनार में प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद 7 लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जिन लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है उनके पक्ष में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और भाजयुमो ने कलेक्टर के कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रधान आरक्षक ने जिन लोगों के नाम लिखवाए हैं उनमें एक युवक के गांव में मौजूद न होने की बात करते हुए मामले की जांच कराने की मांग की गई है।

विहिप ने तीन घटनाओं का उल्लेख करते हुए ज्ञापन सौंपा जिसमें कचनार में प्रधान आरक्षक वाजिद बेग के साथ मारपीट

में लोकेश शर्मा, करतार सिंह और रामकुमार भार्गव पर प्रकरण किया गया है। विहिप का कहना है कि घटना के समय लोकेश शर्मा गांव में मौजूद ही नहीं थे जबकि घटना में नामांकित किए गए शेष दो व्यक्ति भी घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे।

वहीं इस मामले में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष रविन्द्र लोधी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। इसमें बताया गया है कि प्रधान आरक्षक को सांसद डॉ. केपी यादव की शिकायत पर हटा दिया गया था लेकिन उसके प्रभाव के कारण उसे 4 दिन बाद पुनः वहीं पदस्थ कर दिया गया। भाजयुमो ने कहा है कि इस मामले में जिन लोगों पर लूट की धारा लगाई है वो भी गलत है तथा इसे शीघ्र हटाया जाना चाहिए।

इस मामले के अलावा विहिप ने शादौरा में डॉ. शर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने तथा पिपरई में प्राचीन मंदिर के पास खुदाई से क्षतिग्रस्त हुई प्रतिमा के मामले में भी कार्रवाई न होने का मामला भी ज्ञापन में उठाया है। विहिप ने ज्ञापन में प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने के आरोप लगाते हुए द्वेष पूर्वक कार्रवाई करने पर जिले में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इसी तरह की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चे के ज्ञापन में भी की गई है।

इस मौके पर विहिप के प्रांत अर्चक पुरोहित डा. दीपक मिश्रा, जिलाध्यक्ष दिनेश जैन, अशोक रघुवंशी, विकास जैन बल्ली, मोहन नामदेव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।